

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद, संत कबीरनगर, अमरोहा, बांदा, बदायूं, सीतापुर, हाथरस, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर,
फर्रुखाबाद, रामपुर, कन्नौज, कौशाम्बी, इटावा, बहराइच, खीरी, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती,
आगरा, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, फैजाबाद, भदोही, शाहजहाँपुर, फतेहपुर एवं शामली ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : ०९ जनवरी, 2018

विषय: वर्ष 2017-18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु ₹0 5,99,20,200/- (रुपये पाँच करोड़ निन्यानबे लाख बीस हजार दो सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम, पत्रांक व दिनांक	कम्बल हेतु स्वीकृत धनराशि (₹0 में)	अलाव हेतु स्वीकृत धनराशि (₹0 में)	कम्बल एवं अलाव हेतु स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि (₹0 में)
1	मुरादाबाद, संख्या-211, दिनांक 07.01.2018	20,00,000	2,00,000	22,00,000
2	संत कबीरनगर, संख्या-1420, दिनांक 07.01.2018	15,00,000	1,50,000	16,50,000

कम्बल धनावंटन 2018//6

3	अमरोहा, संख्या-519, दिनांक 06.01.2018	17,02,000	---	17,02,000
4	बांदा, संख्या-765, दिनांक 06.01.2018	---	2,50,000	2,50,000
	बांदा, संख्या-759, दिनांक 02.01.2018	40,49,955	---	25,00,000
5	बदायूँ, संख्या-1189, दिनांक 06.01.2018	5,00,000	2,50,000	7,50,000
6	सीतापुर, संख्या-119 दिनांक 06.01.2018	35,00,000	---	35,00,000
7	हाथरस, संख्या-209, दिनांक 06.01.2018	20,00,000	---	20,00,000
8	सिद्धार्थनगर, संख्या-346, दिनांक 06.01.2018	21,50,000	1,25,000	22,75,000
9	बलरामपुर, संख्या-6631, दिनांक 06.01.2018	15,00,000	---	15,00,000
10	फर्रुखाबाद, संख्या-1286, दिनांक 06.01.2018	20,90,000	1,30,000	16,30,000
11	रामपुर, संख्या-791, दिनांक 06.01.2018	15,00,000	3,00,000	18,00,000
12	कन्नौज, संख्या-4341, दिनांक 05.01.2018	5,95,000	1,00,000	6,95,000
13	कौशाम्बी, संख्या-108, दिनांक 05.01.2018	12,45,000	1,50,000	13,95,000
14	इटवा, संख्या-1930, दिनांक 04.01.2018	25,00,000	5,00,000	28,00,000
15	बहराइच, संख्या-817, दिनांक 05.01.2018	30,00,000	3,00,000	33,00,000

2

कम्बल धनावंटन 2018//7

16	खीरी, संख्या-13, दिनांक 04.01.2018	26,41,200	---	26,41,200
17	इलाहाबाद, संख्या-672, दिनांक 06.01.2018	62,32,200	8,00,000	49,00,000 (माघ मेला के दृष्टिगत रु0 5.00 लाख अतिरिक्त)
18	आजमगढ़, संख्या-290, दिनांक 06.01.2018	15,16,000	---	15,16,000
19	बस्ती, संख्या-2057, दिनांक 06.01.2018	40,00,000	2,00,000	22,00,000
20	आगरा, संख्या-1434 दिनांक 06.01.2018	32,22,000	1,80,000	31,80,000
21	गाजीपुर, संख्या-2146, दिनांक 08.01.2018	35,00,000	---	35,00,000
22	बलिया, संख्या-1888, दिनांक 02.01.2018	60,00,000	6,00,000	33,00,000
23	महराजगंज, संख्या-1786, दिनांक 08.01.2018	25,00,000	1,00,000	21,00,000
24	फैजाबाद, संख्या-322, दिनांक 04.01.2018	25,00,000	2,50,000	27,50,000
25	भदोही, संख्या-263, दिनांक 05.01.2018	15,00,000	1,50,000	16,50,000
26	शाहजहाँपुर, संख्या-240 दिनांक 06.01.2018	---	2,50,000	2,50,000
27	फतेहपुर, संख्या-611 दिनांक 06.01.2018	15,00,000	---	15,00,000
28	शामली, संख्या-1306 दिनांक 06.01.2018	4,86,000	---	4,86,000
(रूपये पाँच करोड़ नित्यानबे लाख बीस हजार दो सौ मात्र)				5,99,20,200

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-1651/1-10-2017-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 16.11.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)

विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 162 (1)/एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार (श्री धर्म सिंह सैनी) आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, (श्री गिरीश चन्द्र यादव) नगर विकास तथा अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)

विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त।